भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2656

04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय - पीएमडीडीकेवाई के अंतर्गत हासिल की गई प्रगति

2656. श्री जशुभाई भिलुभाई राठवाः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' (पीएमडीडीकेवाई) के अंतर्गत वर्ष 2025 में हासिल की गई प्रगति का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत शामिल किए गए कृषि आकांक्षी जिलों की संख्या, मंत्रालयों के मध्य कन्वर्जेस तथा किसानों की आय, उत्पादकता और फसल विविधीकरण पर कितना महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार ने इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों जैसे- आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में अंतर, ऋण तक पहुंच या बाजार लिंकेज का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का किसानों की आय, फसल विविधीकरण तथा जलवायु-अनुकूल कृषि को और बढ़ावा देने के लिए पीएमडीडीकेवाई के विस्तार करने अथवा इसके अंतर्गत नए उपाय/कार्यक्रम शुरू करने का कोई विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16 जुलाई, 2025 को 100 जिलों को कवर करने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (डीडीकेवाई) को अनुमोदित किया गया था और इस योजना को औपचारिक रूप से 11 अक्टूबर, 2025 को आरंभ किया गया।

चूंकि डीडीकेवाई कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष में है, इसलिए किसानों की आय, उत्पादकता और फसल विविधीकरण पर मापने योग्य प्रभाव का आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी। तथापि, प्रत्येक जिले में योजना की प्रगति की

निगरानी के लिए, योजना का डैशबोर्ड मासिक आधार पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) को दर्ज करता है। सभी संकेतकों के संबंध में डीडीकेवाई जिलों की प्रगति डैशबोर्ड)https://pmddky.niti.gov.in/) पर उपलब्ध है।

(ग): डीडीकेवाई जिलों के जिला कार्य प्लान (डीएपी) जिला धन धान्य कृषि योजना समिति द्वारा तैयार किये जाते है। अंतराल विश्लेषण के आधार पर, ये प्लान 11 विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं, राज्य योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी के अभिसरण को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। डीएपी तैयार करते समय, डीडीकेवाई समिति द्वारा मृदा उर्वरता, वर्षा एवं सिंचाई, मशीनीकरण, फसल विविधीकरण के लिए एग्रो-इकोलॉजिकल स्थितियों की उपयुक्तता, सीड प्रतिस्थापन दर, ऋण पहुंच, भंडारण अंतराल आदि कारकों को ध्यान में रखा गया है।

नीति आयोग और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सहित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा डीएपी की समीक्षा की गई है। इस संबंध में डीडीकेवाई जिलों को फीडबैक दिया गया है, जिन्होंने तदनुसार इसे सम्मिलित कर लिया है।

(घ) एवं (ङ): इस योजना का विस्तार करने का कोई और प्लान नहीं है, क्योंकि डीडीकेवाई 11 विभागों की 36 योजनाओं, राज्य योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी के अभिसरण के माध्यम से किसानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों जैसे फसल विविधीकरण, जलवायु अनुकूल कृषि आदि को व्यापक रूप से कवर करती है।
